2022/528

फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

सरकार बनाम [handwritten names] वगैरह

किस्म मुकदमा भू-राजस्व अधि. की धारा 131,132 व LR एक्ट के नियम 58,60,66,86 मु0नं0 38/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-4-22	पत्रावली दर्ज कर आदेश हेतु पेश हुई। ग्राम पीलवा खुर्द में दिनांक 23.04.2022 को उभयपक्षों की सहमति अनुसार मौके पर चालू किए गए रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत प्रस्ताव दिनांक 25.04.2022 द्वारा उपतहसीलदार सिकंदरा से प्राप्त हुए। दिनांक 23.04.2022 को उभयपक्षों की मौजूदगी में समझाइश उपरांत खसरा नम्बर 411, 419 एवं 432 में चालू रास्ते की मौका फर्द उभयपक्षों की मौजूदगी में अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशन में तैयार की गई। ख0न0 414 आबादी जिसमें रास्ता चालू है । भू– राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा एल आर एक्ट के नियम 58,60,66 एवं 86 की अनुपालना में मौके पर उभयपक्षों द्वारा स्वंय के स्तर पर चालू किए गए रास्ते को ख0न0 411 में 8.50 फीट चौड़ा एवं 74 मीटर लम्बा यानि कुल 192 वर्गमीटर, ख0न0 419 में 8.50 फीट चौड़ा व 60 मीटर लम्बा यानि कुल 156 वर्गमीटर खातेदारी भूमि व खसरा नम्बर 432 में 8.50 फीट चौड़ा व 90 मीटर लम्बा यानि 233 वर्गमीटर भूमि को गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। ख0न0 414 आबादी का भाग है व उसमें चालू रास्ते को अलग से स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वीकृत रास्ता सम्बंधित खातेदार की खातेदारी का भाग रहेगा। उपतहसीलदार सिकन्दरा को आदेशित किया जाता है कि सहमति आधार पर चालू किए गए रास्ते को उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तथा खसरा नम्बर 506, 508, एवं 510 में दर्ज रास्ते को (न्यायालय आरएए द्वारा खारिज किए जाने व प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने बाबत) राजस्व रिकॉर्ड से हटाए जावे। मौका पर्चा एवं सहमति दिनांक 23.04.2022 निर्णय का भाग रहेगा। मुताबिक आदेश तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो। (Signature) 25-4 उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	